मि.सि. संख्या रा.पि.व.आ./06/02/592/2021-सी.पी.

राष्ट्रिय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसंधान अनुभाग

सुनवाई के कार्यवृत

श्री विजय प्रकाश एवं श्री विद्या सागर द्वारा प्राप्त शिकायत के संबंध में श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार ने आयोग के समक्ष त्रिकूट -1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066 में दिनाँक 08.10.2021 अपराह्न 03:00 बजे मीटिंग नियत की।

बैठक में उपस्थित अधिकारी
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य
2. श्री राजेश कुमार, सलाहकार
3. श्री रामायण यादव, सलाहकार
4. श्री दिनेश कुमार, माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
5. डॉ.राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
6. श्री अभिमन्यु, अनुसंधान अधिकारी

उपस्थित अधिकारीगण

1. श्रीमती अल्का अरोड़ा , सीएमडी, एनएसआईसी एवं संयुक्त सचिव, एमएसएमई
2. श्री अतीश सिंह, संयुक्त सचिव, एमएसएमई
3. श्री राजेश कुमार त्रिपाठी, महाप्रबंधक (मानव संसाधन), एनएसआईसी
4. श्री के. के. अग्रवाल, डीजीएम (मानव संसाधन), एनएसआईसी
5. श्री संजय शरीफ, संपर्क अधिकारी, एनएसआईसी
6. श्री महावीर सिंह, डीएम (मानव संसाधन), एनएसआईसी

राजेश त्रिपाठी

उपस्थित शिकायतकर्ता:

1. श्री विद्या सागर सिंह
2. श्री विजय प्रकाश

सुनवाई के दौरान हुई चर्चा के विस्तृत बिन्दुओं का विवरण:-

1. माननीय आयोग द्वारा प्रश्न किया गया कि पिछली सुनवाई के पश्चात् एनएसआईसी के द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? इस संबंध में श्री राजेश कुमार त्रिपाठी, महाप्रबंधक (मानव संसाधन), एनएसआईसी ने माननीय आयोग को अवगत कराया कि ओबीसी का संपर्क अधिकारी नियुक्त कर लिया गया है, रोस्टर की जाँच हो गई है एवं रोस्टर को अपडेट करके संपर्क अधिकारी को आगे की कार्यवाही हेतु दे दिया गया है।
2. माननीय आयोग द्वारा प्रश्न किया गया कि क्या आप डीओपीटी के सभी नियमों के बारे में जानते हैं? इस संबंध में एनएसआईसी के अधिकारियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।
3. माननीय आयोग द्वारा एनएसआईसी से पूछा गया कि क्या एनएसआईसी का रोस्टर संबंधित मंत्रालय द्वारा जाँच/ सत्यापन किया गया है? इस संबंध में श्री राजेश कुमार त्रिपाठी, महाप्रबंधक (मानव संसाधन), एनएसआईसी ने माननीय आयोग को अवगत कराया कि अंतिम बार वर्ष 2012-13 में मंत्रालय द्वारा एनएसआईसी के रोस्टर की जाँच/ सत्यापन किया गया था।
4. माननीय आयोग द्वारा द्वारा पूछा गया कि रोस्टर बनाना और उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस संबंध में श्रीमती अल्का अरोड़ा , सीएमडी, एनएसआईसी एवं संयुक्त सचिव, एमएसएमई ने माननीय आयोग को अवगत कराया कि रोस्टर बनाना और उसको मेंटेन करना एच.आर. हेड की जिम्मेदारी है।

5. माननीय आयोग द्वारा सीएमडी एनएसआइसी से पूछा गया कि क्या आप रोस्टर के फॉर्मेट से संतुष्ट हैं और रोस्टर बनाने की प्रक्रिया यही है इस संबंध में सीएमडी एनएसआइसी द्वारा बताया गया कि इसमें जो भी कमियां होंगी हम उसे सही करवा देंगे।

6. माननीय आयोग द्वारा सीएमडी, एनएसआईसी से पूछा गया कि क्या एनएसआईसी में शत प्रतिशत शेयर भारत सरकार का है? इस संबंध में सीएमडी, एनएसआईसी द्वारा माननीय आयोग को अवगत कराया गया कि एनएसआईसी का शत प्रतिशत शेयर भारत सरकार का ही है।

7. माननीय आयोग द्वारा एनएसआईसी के अधिकारियों से पूछा गया कि यदि एनएसआईसी का शत प्रतिशत शेयर भारत सरकार का है तो फिर किस नियम के आधार पर एनएसआईसी में भारत सरकार के नियमों का पालन नहीं होता है? इस संबंध में एनएसआईसी की ओर से उपस्तिथ अधिकारियों के द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

8. माननीय आयोग द्वारा श्री राजेश कुमार त्रिपाठी ,महाप्रबंधक)मानव संसाधन(, एनएसआईसी से पूछा गया कि डीओपीटी के कौन कौन से नियम-एनएसआईसी पर लागू नहीं होते हैं इस संबंध में श्री राजेश कुमार त्रिपाठी ,महाप्रबंधक)मानव संसाधन(, एनएसआईसी द्वारा माननीय आयोग को अवगत कराया गया कि सीनियरिटी के लिए डीओपीटी का नियम है कि सीनियरिटी और प्रमोशन नियम के लिए पीएसयू अपने नियम बना सकते हैं।

7. माननीय आयोग द्वारा सीएमडी, एनएसआईसी को अवगत कराया गया कि श्री राजेश कुमार त्रिपाठी, महाप्रबंधक (मानव संसाधन), एनएसआईसी द्वारा सीनियरिटी और प्रमोशन नियम के संबंध में दो अलग-अलग उत्तर प्रस्तुत किये गये

राजेश त्रिपाठी

है, इन्होने दिनांक 20.04.2021 को शपथ पत्र पर आयोग के समक्ष भेजे गये उत्तर में लिखा है कि "NSIC has its own Policy on Seniority and is not bound by DoPT guidelines" एवं श्री विद्या सागर को दिनांक 12.10.2020 को ईमेल के द्वारा भेजे गये उत्तर में लिखा है कि "It is informed that the seniority is finalized by the government rules and regulations and there is no separate seniority policy of department". इस संबंध में श्री राजेश कुमार त्रिपाठी, महा-प्रबंधक (मानव संसाधन), एनएसआईसी द्वारा माननीय आयोग को अवगत कराया गया कि यह सीधी भर्ती का मामला है। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि आप यह जवाब शपथ पत्र पर उपलब्ध कराएं कि दोनों तथ्यों में से कौन सा सही है।

8. माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि एनएसआईसी के मानव संसाधन विभाग के ईमेल से भेजा गया है एवं यह इलेक्ट्रॉनिक डाक्यूमेंट्स इंडियन एविडेंस एक्ट में मान्य है। दोनों तथ्यों में से कोई एक ही तथ्य सही हो सकता है। श्री राजेश कुमार त्रिपाठी, महाप्रबंधक (मानव संसाधन), एनएसआईसी द्वारा माननीय आयोग को अवगत कराया गया कि उसमें डीओपीटी का सर्कुलर लगा हुआ है।

9. माननीय आयोग द्वारा सीएमडी ,एनएसआईसी से पूँछा गया कि क्या महाप्रबंधक (मानव संसाधन) (सीनियरिटी और प्रमोशन की प्रक्रिया के दौरान बोर्ड के साथ होते है क्योंकि श्री राजेश कुमार त्रिपाठी महाप्रबंधक (मानव संसाधन), एनएसआईसी द्वारा दिनांक 20.04.2021 को शपथ पत्र पर आयोग के समक्ष भेजे गये उत्तर के पृष्ठ क्रमांक 5 पर प्रश्न क्रमांक 06 के उत्तर के पैरा क्रमांक 02 में लिखा है कि ""Had APAR of one year in feeder cadre been taken into consideration then he would have been promoted but the two

राजेश त्रिपाठी

complaints would not have " इसका मतलब है कि इन्हें अन्दर की सारी गोपनीय जानकारी होती होगी ? सीनियारिटी को फाइनल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है ?इस संबंध में सीएमडी ,एनएसआईसी द्वारा बताया गया कि बोर्ड को इतनी अंदरूनी जानकारी नहीं होती है बोर्ड के पास सिर्फ अप्रूवल के लिए ले जाते है। क्योंकि बोर्ड को सीनियरिटी लिस्ट नहीं दिखाई जाती है बोर्ड को सिर्फ यह बताया जाता है कि एनएसआईसी यह प्रमोशन या डिस्मिसल कर रहा है जिसका बोर्ड फिर अप्रूवल देता है। सीनियरिटी और प्रमोशन की सूची महाप्रबंधक (मानव संसाधन) द्वारा सीएमडी को पुटअप की जाती है सीएमडी ही उसको अप्रूव करता है, उसके बाद बोर्ड तक लेकर जाते है। डीपीसी के क्राइटेरिया के अनुसार बोर्ड मे लेकर जाया जाता है जिसमें डायरेक्टर और बोर्ड के सदस्य होते है एवं बोर्ड के द्वारा ही अंतिम निर्णयअनुमोदन / किया जाता है।

माननीय आयोग द्वारा प्रश्न किया गया कि इंटीग्रेटेड सीनियरिटी लिस्ट बनाने के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट व प्रमोटी को इंटीग्रेटेड करने की क्या पॉलिसी है? इस संबंध में महाप्रबंधक (मानव संसाधन) ने माननीय आयोग को अवगत कराया कि जो पहले से कंपनी में कर्मचारी हैं वह सीनियर होते हैं और जो बाद में ज्वाइन करते हैं वह जूनियर होते हैं इसी आधार पर इंटीग्रेटेड सीनियरिटी तय होती है एवं दूसरी तरफ यह कहा कि DPC की तारीख से सीनियारिटी तय मानी जाती है इस संबंध में अलग से कोई इंटीग्रेटेड सीनियरिटी पॉलिसी नहीं है।

10. श्री विजय प्रकाश ने अपना पक्ष रखते हुए माननीय आयोग को अवगत कराया कि महाप्रबंधक (मानव संसाधन) दो विपरीत बातें बोल रहे हैं यदि DPC की तारीख का क्राइटेरिया है तो हमारे परिणाम की तारीख 31.03.2017 है और प्रमोटी अधिकारी के DPC की तारीख 26.04.2017 है अतः हम दोनों प्रमोटी

अधिकारियों से सीनियरिटी में आगे होने चाहिए और यदि डेट ऑफ जॉइनिंग क्राइटेरिया हो तो श्री विद्या सागर कई प्रमोटी अधिकारियों से ऊपर होने चाहिए।

11. श्रीमती अल्का अरोड़ा , सीएमडी, एनएसआईसी ने शिकायतकर्ता से पूछा कि जब आपने एनएसआईसी ज्वाइन किया तो आपने क्या यह जानने की कोशिश नहीं की कि एनएसआईसी में आपका भविष्य क्या है। इसके संबंध में श्री विद्यासागर सिंह ने बताया कि जी हां मैम हमें यह बताया गया था कि जॉइनिंग के 2 वर्षों के पश्चात् आपका प्रमोशन हो जाएगा। इसके बाद सीएमडी, एनएसआईसी ने शिकायतकर्ता से पुनः प्रश्न किया कि इससे पहले कोई जीएम रिक्रूट हुआ था? इसके संबंध में श्री विद्यासागर सिंह ने बताया कि इसके पहले श्री नवीन चोपड़ा जी जी.एम. नियुक्त हुए थे जिनका लगभग 7 वर्षों में तीन बार प्रमोशन हुआ था।

12. सुनवाई के पश्चात् आयोग की अपेक्षाएँ :समस्त पक्षों पर चर्चा करने के पश्चात माननीय आयोग ने सीएमडी ,एनएसआईसी एवं एमएसएमई मंत्रालय की ओर से उपस्थित अधिकारियों से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शपथ पत्र पर 07 कार्य दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

1) इंटीग्रेटेड सीनियारिटी लिस्ट बनाने के लिए आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोटी को इंटीग्रेट कैसे करते हैं? अपने रिप्लाई में आपने यह नहीं बताया है। कृपया कमीशन को रिलेटिव या इंटीग्रेटेड सीनियरिटी लिस्ट बनाने की पॉलिसी की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें।

2) आपने 31 मार्च 2020 तक की ड्राफ्ट सीनियरिटी लिस्ट कंपनी के इंटरनेट पर 3 जुलाई 2020 को पब्लिश की थी उसकी फाइनल सीनियरिटी लिस्ट कब और कहां पब्लिश की? कृपया कमीशन को दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

राजेश त्रिपाठी

3) आपके पॉलिसी के हिसाब से APAR प्रमोशन के लिए बेसिक इनपुट डॉक्यूमेंट है तो प्रमोशन ऑर्डर के लिए APAR अपडेट क्यों नहीं किया गया और लेटेस्ट APAR प्रयोग न करने का कारण एवं उद्देश्य शपथ पत्र पर बताएं।

4) एच.आर. विभाग द्वारा प्रमोशन से पहले पेंडिंग APAR को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किया? कृपया फाइल नोटिंग की कॉपी प्रस्तुत की जाए।

5) 23.09.2020 के प्रमोशन ऑर्डर के लिए पात्रता निर्धारित करने का निर्णायक डेट (2017-18) लेने का सक्षम अधिकारी का लिखित अप्रूवल प्रस्तुत किया जाए।

6) महाप्रबंधक (मानव संसाधन) ने जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए हैं उससे पता चलता है कि एनएसआइसी बोर्ड ने इस बात को समझा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के पास 5 APAR नहीं हो सकते हैं किंतु एनएसआईसी पॉलिसी के हिसाब से वह भी महाप्रबंधक से महाप्रबंधक (एसजी) के प्रमोशन के लिए एलिजिबल है इसलिए उन्होंने DPC को अपना क्राइटेरिया बनाने को एंपावर किया जिससे कि DRIS के साथ अन्याय एवं भेदभाव ना हो, क्या मानव संसाधन ने इस पॉलिसी की जानकारी 23.09.2020 की DPC को DPC शुरू होने से पहले दी? कृपया फाइल नोटिंग की कॉपी प्रस्तुत की जाए।

7) कमीशन को सारे DPC मेम्बर की सारी डिटेल उनके पद व कैटेगरी की जानकारी सहित उपलब्ध कराई जाए।

8) श्रीमती अल्का अरोड़ा, सीएमडी, एनएसआईसी एवं संयुक्त सचिव, एमएसएमई ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में है और मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, माननीय आयोग हमे शिकायत के निस्तारण के लिए 30 दिन का समय दे, इस पर

माननीय आयोग ने 21 दिन का समय देते हुए शिकायतकर्ताओ की समस्या का हल निकालकर आयोग को की गई कार्यवाही सूचित करने का निर्देश दिया।

दिनाँक:
स्थान:नई दिल्ली

(श्री राजेश कुमार त्रिपाठी)
महाप्रबंधक (मानव संसाधन), एनएसआईसी

(श्री अतीश सिंह)
संयुक्त सचिव, एमएसएमई

(श्रीमती अल्का अरोड़ा)
सीएमडी, एनएसआईसी एवं संयुक्त सचिव, एमएसएमई

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य,राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
भारत सरकार
एमएसएमई और एनएसआइसी के साथ दिनांक 10.11.2021 की सुनवाई का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण -:

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
3. श्रीमती अलका अरोड़ा, संयुक्त सचिव, एमएसएमई एवं सीएमडी, एनएसआइसी
4. श्री अतीश सिंह, संयुक्त सचिव, एमएसएमई
5. श्री सुनील त्यागी, महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), एनएसआइसी
6. श्री संजय शरीफ, संपर्क अधिकारी एवं उप महाप्रबंधक, एनएसआइसी
7. श्री देवकी नंदन, अध्यक्ष, इंडिपेंडेंट कमेटी, एनएसआइसी
8. श्री विलास भुजंग, सदस्य, इंडिपेंडेंट कमेटी, एनएसआइसी
9. श्री आर.बी. यादव, सदस्य, इंडिपेंडेंट कमेटी, एनएसआइसी
10. श्री विद्या सागर सिंह, शिकायतकर्ता, एनएसआइसी

सुनवाई का विस्तृत विवरण:-

1. माननीय आयोग द्वारा सीएमडी, एनएसआइसी से कहा गया कि पिछली सुनवाई के दौरान इस प्रकरण को हाल करने के लिए आप की सहमति से 21 दिन का समय दिया गया था परंतु आपके द्वारा अभी भी समय मांगा जा रहा है। इस संबंध में सीएमडी, एनएसआइसी द्वारा बताया गया कि फाइल पर माननीय मंत्री जी द्वारा अप्रूवल लिया गया है। दिनांक 01.11.2021 को कमेटी बनी है और उसके बाद दिवाली आ गई। अभी कमेटी को बैठे हुए तीन से चार दिन हुए हैं। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि सीएमडी, एनएसआइसी द्वारा पहले भी एक कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट आयोग में उपलब्ध कराई जाए इस संबंध में सीएमडी, एनएसआइसी द्वारा बताया गया कि उस कमेटी की रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं है हम मंगवा कर दे देंगे। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा पहली रिपोर्ट आयोग में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।

2. माननीय आयोग द्वारा संपर्क अधिकारी, एनएसआइसी से पूछा गया कि आपको सारे नियम और रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में कोई जानकारी है इस संबंध में संपर्क अधिकारी एनएसआइसी द्वारा बताया गया कि अभी उन्हें इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उनकी अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई है इसीलिए अभी तक रोस्टर पर हस्ताक्षर नहीं

किए हैं। माननीय आयोग द्वारा यह जवाब शपथ-पत्र पर उपलब्ध कराने के लिए कह गया।

3. माननीय आयोग द्वारा इंडिपेंडेंट कमेटी से एनएसआइसी का रोस्टर रजिस्टर चेक करने के लिए कहा गया और पूछा गया कि क्या यह रोस्टर रजिस्टर डीओपीटी के नियम अनुसार बना हुआ है या नहीं। इस संबंध में श्री देवकीनंदन, अध्यक्ष, इंडिपेंडेंट कमेटी द्वारा बताया गया कि यह रोस्टर रजिस्टर डीओपीटी के नियमानुसार बना हुआ है। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि यह जवाब शपथ पत्र पर उपलब्ध कराया जाये जिसके जवाब में शपथ-पत्र उपलब्ध कराने के बाद श्री देवकीनंदन, अध्यक्ष, इंडिपेंडेंट कमेटी द्वारा शपथ-पत्र वापस लेने की प्रार्थना की गयी। जिसके बाद माननीय आयोग द्वारा शपथ-पत्र वापस करने से मना कर दिया गया।

4. माननीय आयोग द्वारा संयुक्त सचिव, एमएसएमई से पूछा गया कि मंत्रालय में संपर्क अधिकारी कौन हैं इस संबंध में संयुक्त सचिव, एमएसएमई द्वारा बताया गया कि मंत्रालय में मीना जी संपर्क अधिकारी है। माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि ओबीसी का कोई भी अधिकारी मंत्रालय में नहीं है जो संपर्क अधिकारी बन सके जिसके जवाब में संयुक्त सचिव, एमएसएमई द्वारा बताया गया कि वह फाइल प्रोसेस में है।

5. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि आपके द्वारा कौन से डाक्यूमेंट्स आयोग में उपलब्ध कराए गए हैं इस संबंध में श्री विलास भुजंग, सदस्य, इंडिपेंडेंट कमेटी द्वारा बताया गया कि डॉक्यूमेंट पहले संपर्क अधिकारी द्वारा इंस्पेक्शन किया जाएगा उसके बाद सीएमडी द्वारा एचआर हेड को हस्ताक्षर करने के लिए दिया जाएगा। जिस पर माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि पहले रोस्टर कौन बनाएगा इस संबंध में श्री विलास भुजंग, सदस्य, इंडिपेंडेंट कमेटी द्वारा बताया गया कि पहले रोस्टर एचआर विभाग से बनाया जाएगा और उसके बाद संपर्क अधिकारी इंस्पेक्शन करेगा इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या फिर यह डॉक्यूमेंट बिना ऑथराइजेशन के आयोग में उपलब्ध कराए गए हैं इस संबंध में सीएमडी, एनएसआइसी द्वारा बताया गया कि हमे 1 दिन का समय दे दीजिए, हम यह महाप्रबंधक एचआर द्वारा वेरीफाई करा कर आयोग में उपलब्ध करा देंगे।

6. माननीय आयोग द्वारा श्री देवकीनंदन, अध्यक्ष, इंडिपेंडेंट कमेटी से पूछा गया कि रिक्रूटमेंट ईयर रोस्टर में लिखा होना चाहिए या नहीं लिखा होना चाहिए इस संबंध में श्री देवकीनंदन, अध्यक्ष, इंडिपेंडेंट कमेटी द्वारा बताया गया कि रिक्रूटमेंट ईयर रोस्टर में लिखा होना चाहिए। जिस पर माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या रोस्टर रजिस्टर में रिक्रूटमेंट ईयर लिखा हुआ है इस संबंध में श्री देवकी नंदन, अध्यक्ष, इंडिपेंडेंट कमेटी द्वारा बताया गया कि मैंने सिर्फ बिंदु चेक किए हैं, आप हमें समय दे दीजिए हम पूरा चेक करके आपको रिपोर्ट उपलब्ध करा देंगे।

7. माननीय आयोग द्वारा सीएमडी, एनएसआइसी से पूछा गया कि एनएसआइसी का रोस्टर रजिस्टर कब तक का बना हुआ है? इस संबंध में सीएमडी, एनएसआइसी द्वारा बताया गया कि इसकी जानकारी अभी नहीं है, देखकर बता दी जाएगी। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि एनएसआइसी का गठन कब हुआ था। इस संबंध में सीएमडी, एनएसआइसी एवं संयुक्त सचिव, एमएसएमई द्वारा बताया गया कि वर्ष 1955 में एनएसआइसी का गठन हुआ था। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा महाप्रबंधक (एचआर) से पूछा गया कि रोस्टर कब तक का बना हुआ है। इस संबंध में महाप्रबंधक (एचआर) द्वारा बताया गया कि उन्हे इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है।

8. माननीय आयोग द्वारा श्री सुनील त्यागी, महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), एनएसआइसी से कहा गया कि जो रोस्टर रजिस्टर आयोग को उपलब्ध कराया गया है आप इसे सत्यापित कर दीजिए। जिसके जवाब में श्री सुनील त्यागी, महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), एनएसआइसी एवं सीएमडी, एनएसआइसी द्वारा बताया गया कि इस पद पर पहले श्री त्रिपाठी जी थे श्री सुनिल त्यागी जी ने अभी जॉइन किया आये हैं यह कैसे इसे सत्यापित कर सकते हैं।

9. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि एनएसआइसी में रीजनल लेवल पर ग्रुप सी एवं ग्रुप डी में रिक्रूट्मन्ट होता है? इस संबंध में सीएमडी, एनएसआइसी एवं संयुक्त सचिव, एमएसएमई द्वारा बताया गया कि एनएसआइसी में रीजनल लेवल पर रिक्रूट्मेन्ट नहीं होता है और पिछले 3-4 वर्षों से कोई रिक्रूट्मेन्ट नहीं हुआ है।

10. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि "NSIC has its own policy of seniority" के बारे में बताईये, जिसके जवाब में सीएमडी, एनएसआईसी द्वारा बताया गया कि इस मामलें में पिछली सुनवाई के दौरान निर्णय हो चुका है और इससे संबंधित फाइल आयोग में उपलब्ध करा दी गयी है। माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि पिछली सुनवाई में एनुअल रिपोर्ट से संबंधित कुछ जानकारियां मांगी गयी थी वह जानकारी आयोग में उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिसके जवाब में सीएमडी, एनएसआईसी द्वारा बताया गया कि हम चेक करके जानकारी आयोग में उलब्ध करा देंगे।

11. माननीय आयोग द्वारा बताया गया कि एनएसआईसी द्वारा शपथ-पत्र पर लिख कर दिया गया है कि एनएसआईसी द्वारा ओबीसी कैटेगेरी के उम्मीदवारों का अलग से साक्षात्कार किया जाता है लेकिन डीओपीटी के नियमानुसार एनएसआईसी अलग से साक्षात्कार नहीं कर सकता है। जिसके जवाब में सीएमडी, एनएसआईसी द्वारा बताया गया कि जो पास्ट में हुआ है उसे हम सहीं नहीं कर सकते परन्तु वर्तमान में सही कर देंगे। माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि पास्ट में हुई गलती पर क्या कार्यवाही की जाएगी।

12. शिकायतकर्ता द्वारा माननीय आयोग को बताया गया कि जैसा मुझे पता चला कि इससे पहले भी सीएमडी, एनएसआईसी द्वारा समिति बनायी गयी थी इन सब में कहीं न कहीं हमारा मामला पीछे होता नजर आ रहा है। जिसके जवाब में सीएमडी, एनएसआईसी द्वारा बताया गया कि अगर पिछली समिति सहीं रिपोर्ट देती तो दूसरी समिति क्यों बनानी पड़ती।

13. दिनांक 10.11.2021 को एनएसआईसी और एमएसएमई द्वारा दिये गये शपथ-पत्र निम्नलिखित है:-

1. I Sanjay Sharif, DGM has been nominated as Liaison Officer or OBC in NSIC since 30.07.2021. Till date no training related to maintenance of reservation of roster has been given. Although, I have related through email dated 03.08.2021and OM dated 18.08.2021.
2. Shri Devkinandan, US(HR), M/o MSME The pages no 1-75 of roster register of NSIC has been gone through and seems to be in order. Moreover, this is one of the mandated of independent committee to verify its correctness.

14. माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि एनएसआईसी द्वारा अभी तक जो भी ऐफिडेविट दिये गये है उसकी सत्यता की जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही कराकर माननीय

आयोग को अवगत कराये और प्रश्नावली का जवाब 7 दिन के भीतर आयोग को उपलब्ध कराएं।

सुनवाई संपन्न।

On leave

(श्री संजय शरीफ)
संपर्क अधिकारी (ओबीसी) एवं उप महाप्रबंधक,
एनएसआईसी

(श्री सुनील त्यागी)
महाप्रबंधक (मा.सं.वि.),
एनएसआइसी

(श्री अतीश सिंह)
संयुक्त सचिव
एमएसएमई

अतीश सिंह /ATEESH SINGH
संयुक्त सचिव / Joint Secretary
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108
Nirman Bhawan, New Delhi-110108

(श्रीमती अलका अरोड़ा)
संयुक्त सचिव
एमएसएमई एवं सीएमडी एनएसआईसी

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग